भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 2884.**

**बुधवार, 21 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत निवेश सम्मेलन**

**अता.प्र.सं. 2884. श्री महेन्द्र सिंह माहराः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) मेक इन इंडिया पहल के तहत वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान कितने निवेश सम्मेलन हुए;

(ख) मेक इन इंडिया के तहत निवेश सम्मेलनों के माध्यम से वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान क्षेत्र-वार हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान स्थापित की गई इकाइयों की संख्‍या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी इकाइयों को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान मेक इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2012-13 - 2017-18 के दौरान श्रम-बल सहभागिता की दरों संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी. आर. चौधरी)**

**(क) से (ग):** मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत के बाद निवेश संवर्धन संबंधी गतिविधियां, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्‍न विभागों द्वारा समय-समय पर निष्‍पादित की जा रही हैं। इससे संबंधित विवरण का केन्‍द्रीय स्‍तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।

**(घ):** अप्रैल, 2014 तथा दिसम्‍बर, 2017 के बीच 208.99 बिलियन अमरीकी डॉलर का कुल विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश(एफडीआई) अंतर्वाह रहा था – जो अप्रैल, 2000 से भारत में संचयी एफडीआई के 39% का द्योतक है। वर्ष 2015-16 में एफडीआई अंतर्वाह, पहली बार, किसी एक वित्‍तीय वर्ष में 55 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक रहा। वर्ष 2016-17 में एफडीआई अंतर्वाह रिकार्ड 60 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो किसी एक वित्‍तीय वर्ष में उच्‍चतम रिकार्ड है।

**(ङ):** वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान श्रमशक्ति भागीदारी दर का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

**अनुबंध**

**दिनांक 21.3.2018 को राज्‍य सभा में उत्‍तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्‍न सं. 2884 के भाग (ङ) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध**

श्रम ब्यूरो वर्ष 2010 से वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण का आयोजन कर रहा है। वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के पांच दौर क्रमशः वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2015-16 में आयोजित किए गए हैं। वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अंतिम दौर की रिपोर्ट अर्थात 5वें ईयूएस (2015-16) को सितंबर, 2016 में जारी किया गया था। छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण का फील्ड वर्क पूरा हो चुका है और डेटा प्रोसेसिंग प्रगति पर है। इसके अलावा, रोजगार आंकड़ों में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स के दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण को बंद कर दिया गया है और इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्रतिस्थापित किया गया है ।

1. **वार्षिक ईयूएस से संबंधित कुछ अवधारणाएं और परिभाषाएं : -**

**श्रम** **शक्ति भागीदारी** **दर** (**एलएफपीआर):** श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) को प्रति 1000 व्यक्तियों पर श्रम शक्ति में व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है ।

एलएफपीआर  = नियोजित व्यक्तियों की संख्या + बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या x 1000

कुल जनसंख्या

**वार्षिक ईयूएस के तहत, श्रम शक्ति आकलन एलएफपीआर,** **डब्लूपीआर, यूआर की** **गणना राज्य** **/** **लिंग** **/** **क्षेत्र के** **लिए अलग-अलग की गई है** **।** **तदनुसार, इन अनुमानों अर्थात एलएफपीआर, डब्लूपीआर,** **यूआर**  **का तुलनात्मक विश्लेषण,**  **निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है** **: -**

**तालिका** **1.1** **: 2, 3, 4, और 5 वें ईयूएस पर आधारित**  **15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्‍य परम स्थिति यूपीएस दृष्टिकोण के आधार पर श्रमशक्ति भागीदारी** **दर**

                                                                                                                                                           (प्रतिशत में)

|  |  |
| --- | --- |
| **सर्वेक्षण** **/** **क्षेत्र** | **यूपीएस के तहत** **श्रम** **शक्ति भागीदारी** **दर** |
| **ग्रामीण** | **शहरी** | **ग्रामीण** **+** **शहरी** |
| **पु** | **म** | **टी** | **पी** | **पु** | **म** | **टी** | **पी** | **पु** | **म** | **टी** | **पी** |
| **दूसरा ईयूएस (2011-12)** | 78.8 | 28.0 | - | 54.8 | 73.3 | 17.9 | - | 47.2 | 77.4 | 25.4 | - | 52.9 |
| **तीसरा ईयूएस** **(2012-13)** | 78.0 | 24.8 | - | 52.8 | 73.0 | 16.9 | - | 46.1 | 76.6 | 22.6 | - | 50.9 |
| **चौथा ईयूएस (2013-** **14)** | 74.7 | 29.1 | - | 54.7 | 73.8 | 18.5 | - | 47.2 | 74.4 | 25.8 | - | 52.5 |
| **पांचवें ईयूएस** **(2015-16)** | 77.3 | 26.7 | 51.1 | 53.0 | 69.1 | 16.2 | 41.2 | 43.5 | 75.0 | 23.7 | 48.0 | 50.3 |

**पु = पुरुष, म = महिला, टी = ट्रांसजेंडर पी = व्यक्ति**

**तालिका** **1.2** **:** **2, 3, 4, और 5 वें ईयूएस पर आधारित**  **15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्‍य परम तथा अनुषंगी स्थिति यूपीएसएस (पीएस + एसएस) दृष्टिकोण के आधार पर श्रमशक्ति भागीदारी** **दर** **।**

 (प्रतिशत में)

|  |  |
| --- | --- |
| **सर्वेक्षण** **/** **क्षेत्र** | **यूपीएसएस के तहत** **श्रम** **शक्ति भागीदारी** **दर** |
| **ग्रामीण** | **शहरी** | **ग्रामीण** **+** **शहरी**  |
| **पु** | **म** | **टी** | **पी** | **पु** | **म** | **टी** | **पी** | **पु** | **म** | **टी** | **पी** |
| **दूसरा ईयूएस (2011** **-12)** | 79.4 | 33.9 | - | 57.9 | 73.7 | 19.1 | - | 48.0 | 77.9 | 30.0 | - | 55.4 |
| **तीसरा ईयूएस** **(2012** **-13)** | 78.7 | 29.9 | - | 55.5 | 73.2 | 17.8 | - | 46.7 | 77.2 | 26.5 | - | 53.1 |
| **चौथा ईयूएस (2013** **-14)** | 76.4 | 36.4 | - | 58.8 | 74.0 | 19.7 | - | 47.9 | 75.7 | 31.1 | - | 55.6 |
| **पांचवें ईयूएस** **(2015** **-16)** | 78.0 | 31.7 | 52.2 | 55.8 | 69.1 | 16.6 | 41.2 | 43.7 | 75.5 | 27.4 | 48.8 | 52.4 |

**पु = पुरुष, म = महिला, टी = ट्रांसजेंडर पी = व्यक्ति**

**सामान्‍य परम स्थिति (यूपीएस) दृष्टिकोण**

सामान्‍य परम स्थिति दृष्टिकोण के तहत किसी व्‍यक्ति द्वारा शुरु की गई गतिविधि को तय करने के लिए 365 दिनों पर आधारित मुख्‍य समय मापदंड का प्रयोग किया जाता है। तद्नुसार, किसी व्‍यक्ति द्वारा प्रयुक्‍त किया गया मुख्‍य समय (183 दिन अथवा अधिक) का यह तय करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि क्‍या व्‍यक्ति श्रमशक्ति से है अथवा श्रमशक्ति से बाहर का है। इस दृष्टिकोण के तहत किसी भी व्‍यक्ति का बेरोजगार पाया जाना दीर्घकालिक बेरोजगारी को दर्शाता है। मौजूदा सर्वेक्षण में, सामान्‍य परम स्थिति दृष्टिकोण के अनुमान पिछले बारह माह की गतिमान संदर्भ अवधि से लिए जाते हैं।

**सामान्‍य परम तथा अनुषंगी स्थिति (यूपीएसएस) दृष्टिकोण**

सामान्‍य परम तथा अनुषंगी स्थिति दृष्टिकोण एक मिश्र दृष्टिकोण है जिसमें मुख्‍य समय मापदंड तथा लघु समय अवधि (किसी आर्थिक कार्यकलाप में 30 दिन अथवा अधिक) दोनों पर महत्‍व दिया जाता है। इस प्रकार, किसी व्‍यक्ति जिसने पिछले बारह माह की संदर्भ अवधि के दौरान किसी आर्थिक कार्यकलाप में 30 दिनों अथवा उससे अधिक दिनों तक कार्य किया है, को इस दृष्टिकोण के तहत रोजगार-प्राप्‍त माना जाता है। इस दृष्टिकोण में संदर्भ अवधि, सामान्‍य परम स्थिति दृष्टिकोण (यूपीएस) में ली गई संदर्भ अवधि के समान होती है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

